333

658-II/13

न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश , ग्वालियर म0प्र0 ,

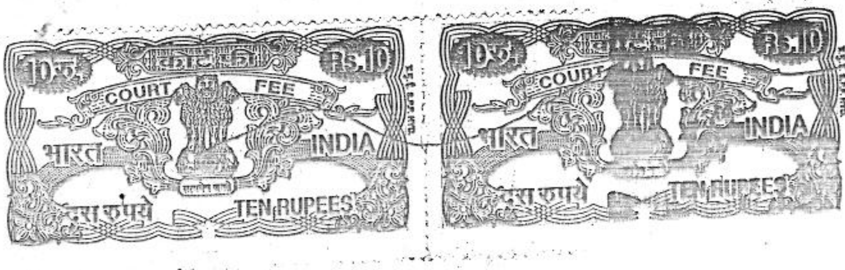

राममणि गुप्ता तनय सूरज भान गुप्ता निवासी ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी मध्य प्रदेश ------------------------------ आवेदक

II/13

बनाम

§1§ चक्रधर प्रसाद तनय राजबिहारी पान्डेय निवासी ग्राम चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0 ,

§2§ मध्य प्रदेश राज्य ------------------------------ अनावेदकगण

15-2-13 को
प0 के0 अधिवक्ता
द्वारा प्रस्तुत/
15-2-13
A.S.O

निगरानी विरुध्द आदेश तहसीलदार - चुरहट के न्यायालीन प्रकरण क्रमांक 44/315/011x012 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2012 जिसके व्दारा राष्ट्रीय राजमार्ग रीवा चुरहट वाया गुढ मार्ग की भूमि नं0 1031/1 व 1032/2 ग्राम चुरहट में नक्शा तर्मीम करनें का आदेश देकर आवेदक का अधिकार निस्तार समाप्त किया जा रहा है हैं ।

===============================

निगरानी अन्तरगत धारा 50 म0प्र0भू-रा0 सँहिता 1959 ।

===============================

आवक 14/2/13

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें हैं :-

§1§ यहकि आराजी नं0 1032/6क स्थित ग्राम चुरहट रकबा 3296 वर्गफिट को आवेंदक अनावेंदक क्रमांक । सें जरियें रजिष्टर्ड बयनामा बिक्री लेंकर एवं कब्जा दखल प्राप्त कर तथा मकान बना कर कर काबिज दाखिल हैं । उक्त भूमि विक्रय चौहद्दी कें अनुसार सीधी रीवा वाया गुढ मार्ग पर लगा पूर्वी सीमा पर स्थित हैं । जैसा कि राजस्व नक्शें सें स्पष्ट हैं ।

§2§ यहकि उक्त आराजी नं0 1032/6क सें लगा हुआ पश्चिमी सीमा पर 1031/1 व 1031 /2 स्थित हैं , एवं उक्त दोनों भूमियों पर सें सीधी रीवा वाया गुढ रोंड कायम हैं एवं उक्त भूमि का रकबा रोंड कें अतिरिक्त खाली नही हैं ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-658-दो/2013 जिला सीधी

राममणि विरूद्ध चक्रधर प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार चुरहट, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 44/अ-5/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18-12-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पंक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 12-3-19 सदस्य	